कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–858–ए/ 107 दिनांक 12/01/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Private Ltd, Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Dhamtari Forest Division under Chhattisgarh Sancharkranti Yojana (SKY), area - 3.786 ha. regarding.**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 45153/ 2020

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5– 28/ 2022/ 10–2 दिनांक 22.12.2022

2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक.शा./ विविध/ 169 दिनांक 05.01.2023

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 4 बिन्दुओं की आपत्ति ली गई है।

मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से 4 बिन्दुओं की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	ली गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 33 में संधारित Form IV में आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जबकि Form IV संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाना होता है। कृपया Form IV में वनमंडलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव के Form IV में वनमण्डलाधिकारी धमतरी का हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
2.	संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 10 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का उल्लेख है इसी तरह पृष्ठ क्र. 36, पृष्ठ क्र. 42 के बिंदु क्र. 3, पृष्ठ क्र. 43 में भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन का उल्लेख है, इसके विपरीत पृष्ठ क्र. 36 ए से 36 डी में प्रदायित दस्तावेज अनुसार प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् कार्यवाही कर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि, प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के 2022 के नियमों के तहत् वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर कार्यवाही हुई है अथवा नही? यदि नही हुई हो तो कृपया अद्यतन नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कार्यवाही कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रकरण अंतर्गत 0.0004 हे. वनक्षेत्र में बिना स्वीकृति कार्य कर आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन किये जाने के उपरांत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही प्रस्तावित वनक्षेत्र में कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के हैण्ड बुक 2019 की कंडिका 1.21 (i) (a) अनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् कार्यवाही किया गया है। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने के कारण हैण्ड बुक 2019 की कंडिका 1.21 (ii) अनुसार दाण्डिक प्रत्याशा मूल्य की

क्र.	ली गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
		राशि 610 रूपये आवेदक संस्थान से लिया जाना प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का प्रतिवदेन प्रस्ताव के पृष्ठ 36A से 36G में संलग्न है।
3.	विभागीय पत्र क्र. एफ 7–22/2009/10–2, दिनांक 22.06.2018 के द्वारा भारत नेट/स्काई योजनाओं से संबंधित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरणों के लिए 21 बिंदुओं के चेक लिस्ट का निर्धारण किया गया था। विषयांकित परियोजना में आवेदक संस्थान "जियो" है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 7–22/ 2009/10–2 दिनांक 22.06.2018 द्वारा भारत नेट/स्काई परियोजना के (OFC) ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण हेतु 21 बिन्दुओं की नवीन चेक लिस्ट का निर्धारण किया गया है तथा यह चेक लिस्ट भारत नेट/स्काई परियोजना के लिए ही होगी का उल्लेख है। चूंकि जियो डिजिटल फायबर प्रा. लि. रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मुख्य मार्गों के समानान्तर सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (ROW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के संबंध में होने के कारण 21 बिन्दुओं के चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिस पर बालोद एवं राजनांदगांव वन मंडल के प्रस्तावों को छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के समस्त प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण हेतु छ.ग. शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 22.06.2018 द्वारा निर्धारित 21 बिन्दुओं के चेक लिस्ट अनुसार ही प्रस्तावों की प्रस्तुतीकरण किया जाना उचित होगा। कृपया शासन स्तर से निर्देश जारी करने का अनुरोध है।
4.	प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण को निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि के विवरण को निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर से प्राप्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12/01/2023

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–858–ए/ 108

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, धमतरी वन मंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़